न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 59/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
चिमाराम पुत्र नरसिंगराम जाति कुम्हार निवासी पुनासर तहसील बापिणी जिला जोधपुर		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर 2– चन्दाराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी विश्वकर्मा नगर, पूनासरखुर्द तहसील बापिणी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक/ प्रगांसं/2021/ 365 दिनांक 6–12–2021 जो उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार बापिणी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष ग्राम विश्वकर्मा नगर एवं पुनासर खुर्द के विभिन्न खसरा नंबरान की भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम विश्वकर्मा नगर मे चल रहे कदीमी रास्ते को गै0मु0रास्ता घोषित कर नक्शा मे शुद्धि कर रेकर्ड मे अमल दरामद करने बाबत अपीलाधीन आदेश **क्रमांक/ प्रगांसं/2021/ 365 दिनांक** 6–12–2021 को पारित कर दिया, उक्त अपीलाधीन आदेश मे अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 595/1 रकबा 11.3312 हेक्टेयर मे से 0.1560 हेक्टेयर कृषि भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उक्त अपील मे पक्षकार बनाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का अधिवक्ता श्री सी0पी0चौधरी ने प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं अपीलांट अधिवक्ता को सुना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. का स्वीकार कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी को इस अपील मे रेस्पो0 संख्या 2 बनाया जाकर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली मे बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना तथा अपीलांट की सहमति के बिना मनमाने तौर पर पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 595/1 रकबा 111.3312 हेक्टेयर भूमि मौके पर कृषि उपयोग मे ली जा रही है तथा उक्त भूमि के एक इंच मे भी गै.मु.रास्ते या कदीमी रास्ते के रूप मे काम मे नही ली जा रही है और न ही मौके पर किसी भी प्रकार का बारहमासी रास्ता या अन्य कोई रास्ता नही है परंतु रेस्पो0 ने मनमाने तरीके से मौके की स्थिति से भिन्न जाकर अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि मे से0.1560 हेक्टेयर भूमि रास्ते के रूप मे कदीमी रास्ता बताकर गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ता घोषित करने का कोई प्रावधान नही है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की खातेदारी की भूमि की किस्म बारानी चतुर्थ से गै.मु.रास्ते के रूप घोषित करने जो आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बापिणी की ओर से ग्राम विश्वकर्मा नगर के खसरा नंबरान 663, 666/1, 667/2, 658, 657/2, 657/1, 656/4, 656 एवं पुनासर खुर्द के खसरा नंबर 595/1 मे चल रहे कदीमी रास्तो की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एव राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के अंतिम पैरा मे "तहसीलदार बापिणी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–12–2021 केवल ग्राम विश्वकर्मा नगर के खसरा नंबरान के संबंध मे ही है न कि पूनासर खुर्द के संबंध मे ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–12–2021 विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बापिणी ने उनके अधीन ग्राम विश्वकर्मा नगर एवं पुनासर खुर्द मे ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतो की भूमि मे से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–12–2021 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन

किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि तहसीलदार बापिणी
पर मजमे आम ग्रामवासियो की सहमति स्वरूप प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगुठा
करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय
किया गया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज क
निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्या
की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कि
अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । जिसके आधार पर अ
की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधि
लोहावट द्वारा पारित आदेश कमांक प्रगांसं/2021/ 365 दिनांक 6–12–2021 के
प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अप
के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 595/1 का मौका निरीक्षण किया जावे तथा अपीलां
सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण किया जावें । मौके पर चल
कदीमी रास्ते को बंद नही किया जावे संबंधित तहसीलदार नियमानुसार इसकी सुनिश्चि
करे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर